


समक्ष :- न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. केम्प

दिनांक 21/23-8/2016 भोपाल

पुनरीक्षण क्रमांक :- /2016
प्रस्तुत दिनांक :- 29 जून 2016



भागवतसिंह पिता नत्थूसिंह सौनेर,
जाति राजपूत, धंधा किसानी,
निवासी ग्राम करताना, जिला हरदा म. प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता / आपत्तिकर्ता

:: ब न म ::

आनंदसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत,
निवासी सुखरास, हाल निवासी हंडिया,
तहसील हंडिया जिला हरदा म. प्र.

.....उत्तरवादी / आवेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50/32 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की और से न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय टिमरनी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 105अ-06/14-15 ग्राम करताना तहसील टिमरनी में पारित आदेश दिनांक 15/06/16 से असंतुष्ट/दुःखी व पीडित होकर समयावधी में यह पुनरीक्षण पेश कर निवेदन है कि :-

(Handwritten signature)

31/2/2016
31/3/2016
31/4/2016
31/5/2016

31/6/2016

30.6.2016

R-2123-8/16 224 प्रसूतिकार

30-6-16

आवेदक की ओर से श्री रावकेन्द्र
श्रीवास्तव आम्बिदास उपाख्यत। गण्डा
पर सुना गया। उनके आठ बतछात्रा
गया है कि तहसीलदा के समक्ष
आवेदक की ओर से प्रसूत आपत्तियाँ

का निराकरण तहसीलदा डाटा नहीं
किया जा रहा है। अतः तहसीलदा
को निर्दिष्ट किया जाता है कि
एक प्रथम आवेदक की ओर से प्रसूत
आपत्तियाँ को निराकरण किया जाये।
तत्पश्चात् आश्रीम कामपणी की जाये।

अ/स/र

अध्यक्ष

2/8/16